उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–9
संख्याः– /अड़तीस–9–12–02(बजट)/2011टी.सी
लखनऊः दिनांक 9 अक्टूबर, 2012

कार्यालय ज्ञाप/निरस्तीकरण आदेश

विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यो हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या–242/अड़तीस–9–2012–02 (बजट)/ 2011टी.सी. दिनांक–09.05.2012 के साथ संलग्न सूची "ब" के कमांक–66 के सम्मुख अंकित श्री मंगल सिंह सैनी मा0 सदस्य, विधान परिषद के लिये भी रू0 41.66 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी हैं।

2– इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी जे0पी0 नगर के पत्र संख्या–322/वि0म0क्षे0वि0नि0/2012–13, दिनांक–16.05.2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री मंगल सिंह सैनी पूर्व मा0 सदस्य, विधान परिषद का दिनांक–12.05.2012 को निधन होने के फलस्वरूप आवंटित धनराशि रू0 41.66 लाख का आहरण सम्भव नहीं है।

3– वर्णित स्थिति में संदर्भित शासनादेश संख्या–242/अड़तीस–9–2012–02 (बजट)/ 2011टी.सी, दिनांक–09.05.2012 के साथ संलग्न सूची "ब" के कमांक–66 के सम्मुख अंकित धनराशि रू0 41,66,000/–(रू0 इकतालीस लाख छांछठ हजार मात्र) को निरस्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

4– उक्त शासनादेश दिनांक–09.05.2012 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

AAO, श्री दीक्षित
12/X/2012

अनिल राज कुमार
विशेष सचिव।

संख्या–758 (1)/अड़तीस–9–2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, विधान परिषद उत्तर प्रदेश।
5– निजी सचिव, मा0 सभापति, विधान परिषद उत्तर प्रदेश।
6– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
7– अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8– जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी जे0पी0 नगर।
9– वरिष्ठ कोषाधिकारी, जे0पी0 नगर।
10– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/ वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1।
11– नियोजन अनुभाग–3/ग्राम्य विकास अनुभाग–3।
12– गार्डबुक।

आज्ञा से,
(बी0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

rathor uo